

## परदत वित्तीय सहायता

मेयो क्लीनिकि अस्पताल - एरज़िोना का मशिन परत्येक मरीज के लिये सर्वश्रेष्ठ देखभाल प्रदान करना है। इस मशिन के आग के रूप में, मेयो क्लीनिकि अस्पताल - एरज़िोना आपातकालीन या आवश्यक चकितिसकीय देखभाल के लिये भुगतान करने में असमर्थ रोगियों को अपने वित्तीय सहायता नीति के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

## पात्रता के लिये मानदंड और परदत सहायता

वित्तीय सहायता के लिये पात्रता कई कारकों पर आधारित है, जिसमें बीमा कवरेज की स्थिति की प्रकृति (व्यक्तिगत चोट के दावों सहित) बीमा कवरेज या भुगतान के अन्य स्रोतों, आय, परविर का आकार, संपत्ति और (संघीय निधिनता का स्तर से संबंधित दशा निर्देशों जिसका उपयोग वित्तीय पेशकश की सहायता की राशि का निधारण करने के लिये किया जाता है), और किसी विशेष विचार जिसपर आवश्यक देखभाल के लिये मरीज या चकितिसक विचार करना चाहते हैं, भी शामिल है।

वित्तीय सहायता उन मरीजों को दी जाती है जो गैर-बीमति है या फरि कम बीमति है। आंशकि या पूर्ण वित्तीय सहायता बलि का भुगतान करने की मरीज की क्षमता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

मरीजों को पूरी तरह से टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और पेस्टब प्रस्तुत करने के साथ ही मेडीकेड या चकितिसा सहायता सहित सहायता के सभी उपलब्ध स्रोतों के लिये आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

## सहायता के लिये आवेदन कैसे करें

मरीज या परविर का कोई सदसय या प्रदाता सहित मरीज की देखभाल में शामिल कोई भी व्यक्ति, मरीज की देखभाल के दौरान किसी भी समय वित्तीय चतिआओं को व्यक्त कर सकता है। उसके बाद मरीज या जमिमेदार पक्ष को एक वित्तीय सहायता आवेदन को पूरा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्तीय सहायता मेयो क्लीनिकि अस्पताल पर प्रदान किये जाने वाले चकितिसा देखभाल सेवाओं और मेयो क्लीनिकि चकितिसा करमयों द्वारा प्रदत सेवाओं तक ही सीमित है। सामान्य व्यय जैसे यात्रा, भोजन, आवास, रहने का खर्च, चकितिसा उपकरण और नुस्खे को वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत कर नहीं किया जाता है। मेयो क्लीनिकि प्रत्येक रोगी की गोपनीयता और गरमि बनाए को रखेगा, और वित्तीय सहायता के विचार से प्रस्तुत किसी भी सूचना को संरक्षित स्वास्थ्य की जानकारी के रूप में हेल्थ इन्शुरन्स पोर्टेबलिटी एंड एक्ट (एचआईपीए) के अंतर्गत माना जाएगा।

## प्रतलिपियाँ कहाँ से प्राप्त करें

मेयो क्लीनिकि की वित्तीय सहायता नीति और आवेदन पेशेंट अकाउंट सर्वसिज पर 1-844-217-9591 पर कॉल करके मेल या ईमेल द्वारा एक प्रति का अनुरोध करने पर यह निश्चिल उपलब्ध कराया जाता है। नीति और आवेदन पत्र डाउनलोड करने और मुद्रण के लिये [www.mayoclinic.org/financialassistance](http://www.mayoclinic.org/financialassistance) पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। नीति और आवेदन की प्रतियाँ मेयो क्लीनिकि अस्पताल के सभी एडमिशन और बिजिनेस सर्वसिज एरिया साथ ही सभी आपातकालीन विभाग स्थानों पर उपलब्ध हैं।

## सूचना और सहायता के लिये संपर्क करें

आवेदन प्रक्रिया के साथ वित्तीय सहायता नीति और सहायता के बारे में अतिरिक्त सूचना पेशेंट अकाउंट सर्वसिज से प्राप्त किया जा सकता है:

- [www.mayoclinic.org/financialassistance](http://www.mayoclinic.org/financialassistance) पर जाकर और होम पेज से पेशेंट अकाउंटमें प्रवेश का चयन करके मरीज पोर्टल को सुरक्षित करें।
- आप 1-844-217-9591 पर कॉल कर सकते हैं या एक व्यापार कार्यालय जा सकते हैं:  
मेयो क्लीनिकि अस्पताल एरज़िोना - 5777 पूर्व मेयो बुलेवार्ड, फॉनक्रिस, एजेड  
(Mayo Clinic Hospital, Phoenix, Arizona: 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, Arizona)

## गैर अंग्रेजी बोलने वालों के लिये

वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता नीति का उपयोग और यह सरल भाषा सारांश का अनुवाद [www.mayoclinic.org/financialassistance](http://www.mayoclinic.org/financialassistance) पर उपलब्ध है।

## AGB से अधिक नहीं

वित्तीय सहायता के लिये पात्र मरीज से सामान्य रूप से आपातकालीन या अन्य आवश्यक चकितिसकीय देखभाल के लिये वसूल किए जाने वाली बलि से ज्यादा वसूल नहीं किया जा सकता है।